

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं01, मुजफ्फरनगर।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड जमा किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं01, मुजफ्फरनगर।